न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 17 / 2026 अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
रेशम खान पुत्र वली मोमद जाति मुसलमान, निवासी निम्बासर तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2. आलम पुत्र वली 3. शेरू पुत्र वली 4. ईमामदीन पुत्र वली जाति मुसलमान, निवासी निम्बासर तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :– अधिवक्ता वादी – श्री बृजमोहन कुमावत।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 12.03.2026

संक्षेप में वादी के वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि मौजा शिव, तहसील शिव के खसरा नम्बर 614 रकबा 6.3131 हैक्टेयर तथा मौजा निम्बासर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 259/57 रकबा 8.9840 हैक्टेयर आयी हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण को उनके पिता वली मोहम्मद के फौत होने पर विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी का विरासती नामांतरकरण अन्य सहखातेदारान् द्वारा भरवाया गया, जिसमें वादी का गलत घरेलु व अधुरा नाम रेशम पुत्र वली का अंकन करवा दिया गया जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम रेशम खान पुत्र वली मोमद है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान् के हिस्से खुले हुए है। वर्तमान में वादी का राजस्व रेकर्ड में गलत नाम दर्ज होने से उसे सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। वादी के समस्त दस्तावेजात में यथा आधार कार्ड, बैंक डायरी, पैन कार्ड व जन आधार आदि में उनका सही एवं वास्तविक नाम रेशम खान पुत्र वली मोमद दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में त्रूटिपूर्ण प्रविष्टि अंकित होने से वादी द्वारा अपनी खातेदारी में अपने सही नाम की घोषणा करवाने का अधिकारी होने एवं भूमि विकास बैंक से सहायता/ऋण प्राप्त करने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज गलत नाम रेशम पुत्र वली के स्थान पर सही नाम रेशम खान पुत्र वली मोमद घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा उपस्थित होकर सहमति जवाबदावा पेश कर वादी के नाम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप स्वयं का बयान गवाह शपथ पत्र पेश किया गया।

दौरान बहस अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए गलत नाम रेशम पुत्र वली के स्थान पर सही नाम रेशम खान पुत्र वली मोमद होना घोषित करते हुए तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा भी वादी अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए तदनुसार सहमति प्रदान की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.03.24 19:16:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने पर राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम रेशम पुत्र वली दर्ज है, जबकि वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, बैंक डायरी, पैन कार्ड आदि में वादी का नाम रेशम खान पुत्र वली मोमद दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से इकबाली जवाब पेश कर वादी के नाम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई हैं। वादी द्वारा अपने नाम की घोषणा के समर्थन में पेश साक्ष्य शपथ पत्र से भी वादी का नाम रेशम पुत्र वली के स्थान पर रेशम खान पुत्र वली मोमद किये जाने का निवेदन किया गया है। उभयपक्ष द्वारा भी उक्तानुसार नाम दुरस्ती बाबत् निवेदन किया गया है। अतः उक्त स्थिति में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम रेशम पुत्र वली के स्थान पर रेशम खान पुत्र वली मोमद दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा शिव, तहसील शिव के खसरा नम्बर 614 रकबा 6.3131 हैक्टेयर तथा मौजा निम्बासर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 259/57 रकबा 8.9840 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड की शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम रेशम पुत्र वली के स्थान पर रेशम खान पुत्र वली मोमद होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 12.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.03.24 19:16:38 IST
Reason: SelfAttested